विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 2485 की जानकारी परिशिष्ट अ
प्रश्नकर्ता - मान॰ विधायक श्री मुकेश मल्होत्रा (पृष्ठ संख्या) - 01)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 15/03/2024

क्रमांक. एफ/PHME/0001/2024/17/मेडि–01 : राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया प्रदेश के समस्त जिलों में शव वाहन संचालित किये जाने हेतु वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कार्य (आवंटन) नियम में उल्लेखित अनुच्छेद– अठारह– नगरीय विकास एवं आवास विकास की कण्डिका (अ) "विभाग में प्रतिवादित नीति संबंधी विषय के उप–बिन्दु 18 (घ)" दिये गये प्रावधान अनुसार मृतक के परिवहन हेतु शव बाहन संचालित किये जाने संबंधी दायित्व नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पास हैं, जिसमें आंशिक बदलाव कर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को संस्थागत मृत्यु हेतु शव वाहन का दायित्व सौंपा जावे।

2. प्रदेश के समस्त 13 चिकित्सा महाविद्यालयों वाले जिलों में प्रारंभिक स्तर पर 04 तथा शेष अन्य 42 जिला चिकित्सालयों हेतु 02 के मान से कुल 136 शव वाहन द्वारा रोगी/पीड़ित के शासकीय संस्था में मृत्यु उपरांत मृतक को निवास स्थल/श्मशान तक निःशुल्क परिवहन व्यवस्था प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से आउटसोर्स के माध्यम से शव वाहन संचालित किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

3. निविदा स्वीकृति से पूर्व योजना के सभी पहलुओं पर विचार कर सुझाव देने के लिए चार सदस्यीय मंत्रि–परिषद उप–समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें विभागीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सहकारिता मंत्री जी को सम्मिलित किया गया है।

4. उपरोक्त परियोजना के संचालन का सम्पूर्ण वित्तीय प्रावधान राज्य मद के बजट से किया जावे।

5. यह स्वीकृति मंत्रि–परिषद निर्णय दिनांक 11.03.2024 के अनुक्रम में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
15/03/24
(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय।

पृ. एफ/PHME/0001/2024/17/मेडि–01
भोपाल, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
5. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. आयुक्त, सह स्वास्थ्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय, पर्यावास भवन, भोपाल।
9. संभागायुक्त, समस्त संभाग.............................., मध्यप्रदेश।
10. समस्त कलेक्टर जिला ...., मध्यप्रदेश।
11. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. अधिष्ठाता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय ...., मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला चिकित्सालय ...., मध्यप्रदेश।
14. अपर संचालक, (वित्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल।
15. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ... मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14. गार्ड फाईल।

15/03/24
अपर सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय।

उप संचालक
स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner